प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 02.11.2015 को पटना नगर निगम की विकास योजनाओं एवं राजस्व संग्रहण के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही :—

1. विभाग स्तर पर सभी शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की जाती है।

2. पटना नगर निगम क्षेत्र के महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पटना नगर निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक, अन्य नगर निकायों से भिन्न तिथि को यानि माह के प्रथम सोमवार को प्रातः 11:00 बजे की जाएगी, जिसमें सभी कार्यों की समीक्षा होगी। इसी क्रम में यह बैठक आयोजित की गयी है, जिसमें निम्नवत चर्चा हुई :—

(i) <u>विकास योजनाओं की समीक्षा</u> :—

(क) 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त 69.00 लाख रूपये की राशि अव्यवहृत अवशेष है। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि इसके विरूद्ध योजनाएं ली गयी है, जो कार्यरत है। निर्देश दिया गया कि इसकी इस माह समीक्षा करके, योजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित करायी जाय एवं राशि का व्यय सुनिश्चित कराते हुए अगली मासिक बैठक में अवगत कराया जाय। इस हेतु सभी कार्यपालक अभियंता योजनावार समीक्षा सुनिश्चित करेंगे।

(ख) 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त 3.02 करोड़ रूपये की राशि अव्यवहृत अवशेष है। बताया गया कि इस राशि का उपयोग स्वच्छता अधिष्ठापन के कार्य में किया जा रहा है, जिसका माह दिसम्बर तक पूर्ण उपयोग कर लिया जाएगा।

(ग) 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर इस वर्ष में 18.98 करोड़ रूपये की विमुक्ति की गयी है, जिसमें से 9.29 करोड़ रूपये का व्यय हुआ है। निर्देश दिया गया कि इस राशि का व्यय जिन मदों में हुआ है, उसकी जानकारी अगली बैठक में दी जाय। यह भी निर्देश दिया गया कि व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय ताकि द्वितीय किस्त विमुक्ति के समय उपयोग किया जा सके।

(घ) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पिछले वित्तीय वर्ष में जो राशि दी गयी थी, उसमें 56.55 करोड़ रूपये अभी तक अवशेष है। यह अत्यंत बड़ी राशि है। इस वित्तीय वर्ष में जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर में प्रायः शून्य राशि का व्यय हुआ है। मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम द्वारा राशि व्यय नहीं होने के कारणों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, किन्तु संतोषजनक नहीं

पाया गया। मुख्य अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया कि कार्यरत योजनाओं में गति लाएं। नई योजनाओं में शीघ्र कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जाय। निर्देश दिया गया कि हर हालत में राशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

(ड़) मदवार समीक्षा से यह ज्ञात है कि कई मदों में राशि उपलब्ध है, जिसकी अभी खर्च करने की योजना बनाना भी बाकी है। अपर नगर आयुक्त को विशेष तौर पर निर्देश दिया गया कि वे स्वयं इसकी समीक्षा कर लें। राशि के उपयोग में तेजी सुनिश्चित कराएं।

(च) पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर इस वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष से अधिक राशि मिलने की संभावना है। निर्देश दिया गया कि इसके लिए अग्रिम योजना बनायी जाय। योजनाओं का चयन किया जाय। डी०पी०आर० स्वीकृति करके रखा जाय ताकि जैसे ही राशि प्राप्त हो, अविलंब उपयोग किया जा सके।

(ii) **<u>उपयोगिता प्रमाण पत्र</u>** :–

उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक 143.00 करोड़ रूपये का लंबित है एवं 204.00 करोड़ रूपये की राशि व्ययगत है। इसका पूर्ण ब्यौरा एक सप्ताह के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया।

(ii) **<u>जन शिकायत</u>** :–

नगर सेवा हेल्पलाईन के माध्यम से कुल 2938 शिकायतें पटना नगर निगम को भेजी गयी है, जिसमें से कुल 1668 जन शिकायतें निष्पादन हेतु लंबित हैं। निर्देश दिया गया कि लंबित जन शिकायतों का निष्पादन शीघ्र कराया जाय।

(iv) **<u>केन्द्र प्रायोजित योजना</u>** :–

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की अलग से विशेष समीक्षा की गयी। नगर निगम क्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की गति अत्यंत ही चिंताजनक है। पूर्व में इन योजनाओं में वस्तुतः कोई ध्यान नहीं दिया जाता रहा है। स्वच्छ भारत मिशन एवं सबके लिए आवास योजना में शुरूआती तैयारी प्रारंभ हुई है। इसमें गति लाने के लिए निर्देश दिया गया।

(v) **<u>राजस्व संग्रहण</u>** :–

राजस्व संग्रहण की समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 17.74 करोड़ रूपये की राशि की वसूली की गयी है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के वर्ष भर के वसूली के लगभग बराबर है। इस दृष्टिकोण से राजस्व संग्रहण में तेजी आयी है, किन्तु इसमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर

राजस्व संग्रहण के अन्य सभी घटकों में प्रगति अत्यंत कम है। इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है।

(vi) विभाग स्तर पर लाईसेंस के विनियमन अनुमोदन हेतु लंबित है। श्री अजय कुमार पांडेय, उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दिया गया कि वे अविलंब इसका निष्पादन कराएं।

(vii) <u>पार्किंग स्थल</u> :–

पटना शहर में पार्किंग स्थलों की घोर कमी है। इस हेतु पिछली बैठकों में सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इस हेतु बैठक में सूची प्रस्तुत की गयी। निर्देश दिया गया कि अगली बैठक में राशि के ब्यौरा के साथ पूर्ण प्रतिवेदन जानकारी हेतु प्रस्तुत की जाय ताकि शहर में नागरिक सुविधाएं विकसित हो सके।

(viii) <u>स्ट्रीट लाईट</u> :–

स्ट्रीट लाईट की समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से हस्तांतरण लिया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट लगाने की योजना बनाएं।

(ix) <u>स्वच्छता अधिष्ठापन</u> :–

स्वच्छता अधिष्ठापन कार्य की समीक्षा की गयी। प्रतिवेदित किया गया कि आगामी छठ पर्व के मद्देनजर घाटों की सफाई समय पर की जा रही है एवं पटना शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों यथा दीघा, मैनपुरा आदि में सफाई व्यवस्था शुरू कर दी गयी है।

(x) भवन उपविधि के अनुपालन में पटना शहर में भवनों के नक्से प्राप्त करने की सूचना दी गयी।

3. निर्देश दिया गया कि सभी कार्यों में व्यापक सुधार लाने हेतु कड़ा अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

6.11.15

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–5667 न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक 9/11/15

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, पटना नगर निगम / कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, कंकड़बाग अंचल, पटना सिटी अंचल, बाँकीपुर अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/11/15

(श्री उपेन्द्र कुमार),
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–5667 न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक 9/11/15

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / उप निदेशक / सभी विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/11/15

विशेष कार्य पदाधिकारी

51